आदेश पत्र के बारे में टिप्पणी

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 55/2021–22

बलराम सिंह..अपीलकर्त्ता

बनाम

16/–रैयत मौजा धुरमुन्दनी..उत्तरकारी

आदेश

11.03.2022

यह रे0मि0 अपील वाद, अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–76/12–13 में पारित आदेश दिनांक–09.12.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है।

अभिलेख में उपलब्ध तथ्य निम्न प्रकार है :–

मौजा धुरमुन्दनी एक प्रधानी मौजा है। मसुदन सिंह मौजा के अंतिम प्रधान थे। अपीलकर्त्ता अंतिम प्रधान के परपोता है। अंचल अधिकारी मसलिया के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलकर्त्ता मौजा गुमरो में रहता है, जो प्रधानी मौजा धुरमुन्दनी से 3 कि0मी0 की दूरी पर है। इस आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के दावों को अस्वीकृत करते हुए, प्रधान नियुक्ति हेतु संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम की धारा–5 की प्रक्रिया आरंभ की गई। इस आदेश के विरूद्ध में यह अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

(1) अपीलकर्त्ता मौजा गुमरो में रहता है, जो प्रधानी मौजा से 3 कि0मी0 की दूरी पर है, के संबंध में अंचल अधिकारी, मसलिया से समर्पित किया जाँच प्रतिवेदन गलत है।

(2) अपीलकर्त्ता द्वारा इस संबंध में आपत्ति आवेदन दाखिल किया गया है।

(3) अपीलकर्त्ता द्वारा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड एवं पासबुक की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जिसमें अपीलकर्त्ता का पता मौजा घुरमुन्दनी अंकित है।

(4) अपीलकर्त्ता का घर मौजा घुरमुन्दनी के दाग सं0–400 एवं 401 पर अवस्थित है।

(5) अपीलकर्त्ता द्वारा उप मुखिया–सह– प्रभारी सदस्य पंचायत का प्रमाण–पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें अपीलकर्त्ता मौजा घुरमुन्दनी में रहने का उल्लेख है।

इन कागजाती सबूतों के पश्चात् भी अपीलकर्त्ता का धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्ति आवेदन को अस्वीकृत किया गया, जो न्याय संगत नहीं है।

अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में उल्लेखित तथ्य :–

अंचल अधिकारी, मसलिया से पत्रांक–633/रा0 दिनांक–13.09.2021 एवं 785/रा0 दिनांक–04.12.2021 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि अपीलकर्त्ता प्रधानी मौजा घुरमुन्दनी में नहीं रहता है, वह गुमरो में रहता है, जो प्रधानी मौजा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा अपीलकर्त्ता के संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत प्रधान नियुक्ति आवेदन को अस्वीकृत किया गया एवं प्रधान नियुक्ति हेतु संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम की धारा–5 की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

निष्कर्ष

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा की प्रधान पद पर नियुक्ति आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इस वाद पर किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों के आलोक में अपीलकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

11/3/22
उपायुक्त,
दुमका।

11/3/22
उपायुक्त,
दुमका।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.05 16:56:50 +05:30
Location: 169.254.227.244